1

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(खनिज अनुभाग)

दिनांकः 03 फरवरी, 2026

पत्रांकः 1619 /एम0एम0सी0–30–खनिज/2025–26

ई–निविदा आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद महोबा की तहसील सदर अन्तर्गत ईमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट खण्डा/गिट्टी/बोल्डर के खनन क्षेत्रों मे खनन संक्रिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन सामग्री को निम्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार शासनादेश संख्या–748/86–2022–03 (सा0)/2021 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 20.06.2022 व शासनादेश संख्या–16–01099/93/2023 I/770528/2024 दिनांक 16.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अधीन ई–निविदा (E-tendering) के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु एतद द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक 16.02.2026 से दिनांक 20.02.2026 तक की अवधि में ई–निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ई–निविदाएँ निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण जहाँ पर उपखनिज एकत्रित/उपलब्ध है			लॉट का विवरण						शासनादेश दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर (रू0 प्रति घ0मी0)	एकत्रित रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन उपखनिज मात्रा की कुल रायल्टी (रू0 में) (कालम– 10 में अंकित मात्रा को कालम–11 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	शासनादेश दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति की धनराशि (कालम–12) में अंकित धनराशि का 10 प्रतिशत
		तहसील	ग्राम	गाटा	लॉट नं0	ब्लाक नं0	जियो कोआर्डिनेट		रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन की मात्रा (घ0 मी0 में)	कुल मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1	रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन	महोबा	मकरबई	989	A	A-1	25°19'50.96"N	79°59'28.72"E	59220	78420	100	78,42,000	784200
						A-2	25°19'45.43"N	79°59'27.90"E	19200				
2.	रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन	महोबा	पहरा	2561	B	B-1	25°21'08.69"N	80°03'45.13"E	67554	67554	100	67,55,400	675540
3.	रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन	महोबा	कबरई	1629	C	C-1	25°22'09.66"N	79°59'29.42"E	80184	128004	100	1,28,00,400	1280040
						C-2	25°22'14.14"N	79°59'26.54"E	36048				
						C-3	25°22'17.79"N	79°59'31.47"E	2952				
						C-4	25°22'21.40"N	79°59'33.20"E	8820				

1– दिनांक 16/02/2026 से दिनांक 20/02/2026 तक प्राप्त ई–निविदाओं को दिनांक 23/02/2026 को प्रातः 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट महोबा स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई–निविदा समिति द्वारा ई–निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।

2– उक्त तालिका में अंकित क्षेत्रों के लिए पृथक–पृथक ई–निविदा दी जायेगी।

3– निविदादाता को अपना नाम, पिता/पति का नाम तथा स्थायी व अस्थायी पता स्पष्ट रूप से ई–निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा।

4– निविदादाता को ई–निविदा के लिए दी गई धनराशि को शब्दों तथा अंको में स्पष्ट रूप से ई–निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग/अपर लेखन स्वीकार नही किया जायेगा। कटिंग/अपर लेखन की स्थिति में ई–निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

5– निविदादाता को जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र ई–निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

....2

6- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7- उक्त तालिका में अंकित खनिज की मात्रा को हटाये जाने (विक्रय एवं परिवहन करने) हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा उक्त अवधि अग्रेतर 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।

8- उक्त रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन की मात्रा के लिए ई-निविदा, प्रति घनमीटर की दर से दी जायेगी, जो शासनादेश दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 100.00 प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी। इससे कम की दर दिये जाने पर ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त सर्वोच्च ई-निविदा की दर (रूपये प्रति घनमीटर) को उपरोक्तानुसार आंकलित खनिज की कुल मात्रा से गुणा कर सम्बन्धित खनिज के लिये ई-निविदा की कुल धनराशि का आगणन किया जायेगा।

9- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व उपरोक्त तालिका में अंकित उप खनिज की मात्रा, उपलब्धता एवं भण्डारण स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर ई-निविदादाता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10- किसी भी क्षेत्र के लिए एकल निविदा (Single Bid) स्वीकार नही की जायेगी।

11- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी:-

(क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रेक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगें

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

12- निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारुप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

<u>प्रारुप-2 की सूचनायें :-</u>

क- विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
ख- विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नं0।
घ- उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
ड़- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0-15,000/- का चालान संख्या व दिनांक।
च- अर्नेस्ट मनी की धनराशि रू0 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा।
छ- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
ज- पैनकार्ड का क्रमांक।
झ- चरिंत्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
ण- कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

क- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0-15,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख- अर्नेस्ट मनी की धनराशि रू0 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा।

ग- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

घ- पैन कार्ड।

ड़- जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

च- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

13- यदि निविदादाता द्वारा बिन्दु संख्या-12 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारुप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति व अपलोड किये गये अन्य वांछित अभिलेख निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत खनन कार्यालय महोबा में जमा करना अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई-निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदादाता का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

14- सर्वोच्च दर देने वाले निविदादाता का चयन, उस क्षेत्र पर भण्डारित उपखनिज के अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त सही पाये जाने पर समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदादाता के पक्ष में अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिए आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

15- देय धनराशि को अनुमन्य अवधि से भाग देकर प्रत्येक त्रैमासिक किश्त का निर्धारण किया जायेगा। प्रत्येक त्रैमास में Pay as you go के अन्तर्गत परिवहन की जाने वाली मात्रा के समतुल्य अग्रिम देय धनराशि जमा की जायेगी तथा प्रत्येक त्रैमास के अन्त में देय किश्त की अवशेष धनराशि उसी त्रैमास के अन्तिम दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति धनराशि को यथास्थिति अन्तिम किश्तों में समायोजित किया जायेगा।

16- देय किश्तों की समय पर अदायगी न किये जाने की दशा में स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए जमा प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

17- ई-निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त आशय पत्र निर्गत करने से पूर्व रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन से सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वर्तमान पट्टाधारक को स्वतः संज्ञान के आधार पर 02 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जायेगा।

18- कृत्रिम बालू के उत्पादन हेतु पूर्व से स्थापित संयंत्र या नया संयत्र स्थापित करने वाले व्यक्ति/ पट्टाधारक/फर्म/कम्पनी को सम्पूर्ण देय धनराशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को संयत्रं स्थापित करने विषयक निबंधन प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी उक्तानुसार प्रमाण पत्र की पुष्टि 01 सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी (खनन) द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरान्त देय धनराशि पर छूट का लाभ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अनुमन्य होगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित एम-सैण्ड की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19– उत्पादन संयंत्र तक रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन का परिवहन ई–प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा। उत्पादित कृत्रिम बालू के भण्डारण हेतु उत्तर प्रदेश खनन (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 (यथा संशोधित) के अधीन भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। भण्डारण स्थल से कृत्रिम बालू का परिवहन ई–प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा।

20– निविदादाता को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा जी0एस0टी0, आयकर विभाग का टी0सी0एस0,जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा करना होगा।

21– प्रतिभूति धनराशि के रूप में लॉट की मात्रा को रायल्टी दर से गुणा कर आगणित धनराशि का 10 प्रतिशत जमा किया जायेगा।

22– निविदादाता प्रत्येक वाहन को प्रपत्र 'सी' सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत प्रपत्र 'सी' पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

23– निविदादाता द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार भण्डारण स्थल से उपखनिज का परिवहन किया जायेगा।

24– ई–निविदा की बिड को स्वीकार करने अथवा किसी भण्डारण स्थल के लिए उच्चतम बिड को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी को निहित होगा।

25– मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उ0प्र0 शासन अथवा जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

26– नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

27– राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह निविदादाता को मान्य होगा।

28– स्थानीय स्थिति तथा परिस्थितिजन्य परिवेश को ध्यान में रखतें हुए जिलाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्य शर्ते, जो उचित समझी जाए, मान्य होगी।

9– जिलाधिकारी की संस्तुति पर अपरिहार्य परिस्थितियों में, उक्त शर्तो के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा गुण–दोष के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

– बिड डाक्यूमेन्ट, नियमों एवं शर्तो आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर एवं जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग), महोबा तथा जनपद महोबा के वेब साइट mahoba.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

(ग़ज़ल भारद्वाज)
जिलाधिकारी
महोबा।

पत्रांक व तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा।
6– उपजिलाधिकारी, महोबा।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद–महोबा के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8– जिला सूचना अधिकारी, महोबा को दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।
9– जयेष्ठ खान अधिकारी, महोबा को उक्त विज्ञप्ति सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
महोबा।

प्रारूप–2

ई–निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा पायरोफिलाइट को विज्ञापित किया गया हो	
2	ई–निविदाकार का नाम	
3	पिता का नाम	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	ई–मेल आई डी नम्बर	
7	मोबाइल नम्बर	
8	पैनकार्ड नम्बर	
9	विज्ञप्ति में दी गयी पायरोफिलाइट के भण्डार की कुल मात्रा	
10	पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उसके पंजीकरण का विवरण	
11	खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाण पत्र अथवा इस आशय का शपथ पत्र कि उसके ऊपर कोई सरकारी देयता नही है।	
12	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	बैंक का नाम व शाखा.. बैंक ड्राफ्ट नम्बर... धनराशि .... दिनांक ....
13	उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ ई–निविदाकार स्थायी रूप से निवास करता है, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड। फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का DIN एवं कम्पनी का पैनकार्ड व जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति का विवरण	

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। कोई सनचने छिपायी नही गयी है तथा मै निविदा आमंत्रण की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक– / /2026

स्थान– महोबा

ई–निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by RAKESH BAHADUR SINGH
Date: 2026.02.06 17:08:20 IST
Location: Uttar Pradesh-UP